रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 81] नई दिल्ली, शनिवार, जून 24, 1967/आषाढ़ 3, 1889

No. 81] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE, 24, 1967/ASADHA 3, 1889

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## LOK SABHA

### NOTIFICATION

*New Delhi, the 24th June 1967*

**No. 39/4/C-I/67.**—The following paragraph published in the Lok Sabha Bulletin—Part II, dated the 23rd June, 1967, is hereby published for general information:—

No. 223

**Amendments to the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Fifth Edition)**

In pursuance of sub-rule (2) of rule 331 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Fifth Edition), the following amendments approved by Lok Sabha to the said Rules are hereby published:—

*Rule 33*

*1. In rule 33, after the words "not less than ten", the words "and not more than twenty-one" shall be inserted.

*Rule 55*

2. In sub-rule (1) of rule 55, for the words "shall allot half an hour", the words "may allot half an hour on three sittings in a week" shall be substituted.

*Rule 194*

3. (a) In rule 194, the words beginning with the words "and in consultation" and ending with the word "circumstances" shall be omitted.

*This amendment shall come into force on the termination of the Second Session of Fourth Lok Sabha.

(b) Rule 194 as so amended shall be renumbered as sub-rule (1) thereof and the following sub-rule (2) shall be added after the proviso, namely.—

"(2) The Speaker may allot two sittings in a week on which such matters may be taken up for discussion and allow such time for discussion not exceeding one hour at or before the end of the sitting, as he may consider appropriate in the circumstances."

*Rule 197*

4. (1) After sub-rule (1) of rule 197, the following proviso shall be inserted, namely.—

"Provided that no member shall give more than two such notices for any one sitting."

(2) At the end of sub-rule (2) of rule 197, the following shall be added, namely:—

"but each member in whose name the item stands in the list of business may, with the permission of the Speaker, ask a question:

Provided that names of not more than five members shall be shown in the list of business.

*Explanations.*—(i) Where a notice is signed by more than one member, it shall be deemed to have been given by the first signatory only.

(ii) Notices for a sitting received upto 10 30 hours shall be deemed to have been received at 10 30 hours on that day and a ballot shall be held to determine the relative priority of each such notice on the same subject. Notices received after 10.30 hours shall be deemed to have been given for the next sitting "

(3) In sub-rule (3) of rule 197, for the words "one such matter", the words "two such matters" shall be substituted.

(4) After sub-rule (3) of rule 197, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that the second matter shall not be raised by the same members who have raised the first matter and it shall be raised at or immediately before the end of the sitting as the Speaker may fix."

(5) For sub rule (5) of rule 197, the following shall be substituted, namely:—

"(5) All the notices which have not been taken up at the sitting for which they have been given shall lapse at the end of the sitting, unless the Speaker has admitted any of them for a subsequent sitting."

*Rule 367*

5. In sub-rule (3) (c) of rule 367, after the words "the automatic vote recorder" the words "or by using 'Aye' and 'No' slips in the House" shall be inserted.

*Rule 367AA*

6. After rule 367A, the following new rule 367AA shall be inserted, namely:—

367AA. "*Division by distribution of 'Aye' and 'No' slips.*—(1) Where the Speaker directs under clause (c) of sub-rule (3) of rule 367 that the votes shall be recorded by members on 'Aye' and 'No' slips, the Division Clerks shall supply to each member at his seat, an 'Aye' or 'No' slip, according to the choice indicated by him. A member shall record his vote on the slip by signing and indicating his Division Number thereon.

(2) After the members have recorded their votes, the Division Clerks shall collect the 'Aye' and 'No' slips and bring them to the Table where the votes shall be counted by the officers at the Table and the totals of 'Ayes' and 'Noes' presented to the Speaker.

(3) The result of the Division shall be announced by the Speaker and it shall not be challenged "

S. L. SHAKDHER, Secy.

## लोक सभा

### अधिसूचना

नई दिल्ली 24 जून, 1967

**संख्या 39/4/सी-1/67**—निम्नलिखित पैरा, जो 23 जून, 1967 के लोक-सभा समाचार —भाग 2 में प्रकाशित हुआ था, एतद्द्वारा सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

**संख्या 223**

**लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण) में संशोधन**

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण) के नियम 331 के उप-नियम (2) के अनुसरण में, उक्त नियमों में लोक-सभा द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित संशोधन एतद्द्वारा प्रकाशित किये जाते है :—

**नियम 33**

*1. नियम 33 में, "कम-से-कम पूरे दस दिन" शब्दों के पश्चात् "और अधिक-से-अधिक इक्कीस दिन" शब्द निविष्ट किये जायेंगे ।

**नियम 55**

2. नियम 55 के उप-नियम (1) में "आधा घंटा ऐसे पर्याप्त लोक महत्व के विषय पर चर्चा उठाने के लिये नियत करेगा", शब्दों के स्थान पर "सप्ताह में तीन बैठकों में आधा घंटा ऐसे पर्याप्त लोक-महत्व के विषय पर चर्चा उठाने के लिए नियत कर सकेगा ।" शब्द रखे जायेंगे ।

**नियम 194**

3. (क) नियम 194 में, "और सभा के नेता" से आरम्भ होकर "ढाई घंटे से अधिक न हो" शब्दों तक शब्दों का लोप किया जायेगा ।

(ख) इस प्रकार संशोधित नियम 194 की संख्या में परिवर्तन करके उसे इसी संख्या का उप-नियम (1) बना दिया जायेगा तथा परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम (2) निविष्ट किया जायेगा :—

"(2) अध्यक्ष एक सप्ताह में ऐसी दो बैठकें नियत कर सकेगा जब ऐसे विषय चर्चा के लिए जा सकें और चर्चा के लिये उतने समय की अनुमति दे सकेगा जितना कि वह परिस्थितियों में उचित समझे और जो बैठक की समाप्ति पर अथवा उससे पहले एक घंटे से अधिक न हो ।"

**नियम 197**

4. (1) नियम 197 के उप-नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

"परन्तु कोई सदस्य किसी एक बैठक के लिये ऐसी दो से अधिक सूचनायें नहीं दे सकेगा ।"

(2) नियम 197 के उप-नियम (2) के अन्त में निम्नलिखित निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

"परन्तु प्रत्येक सदस्य, जिस नाम से कार्य-सूची में यह मद दिखाई गयी हो, अध्यक्ष की अनुमति से एक प्रश्न पूछ सकेगा ।

परन्तु कार्य-सूची में पांच से अधिक सदस्यों के नाम नहीं दिखाये जायेंगे ।"

*यह संशोधन चौथी लोक-सभा के दूसरे सत्र के समाप्त हो जाने पर लागू होगा ।

**व्याख्या** (एक) जहां किसी सूचना पर एक से अधिक सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे, वहां यह समझा जायेगा कि केवल पहले हस्ताक्षरकर्ता ने सूचना दी है ।

(दो) किसी बैठक के लिये 10.30 बजे तक प्राप्त सूचनाओं को उसी दिन 10.30 बजे प्राप्त समझा जायेगा और एक ही विषय पर प्रत्येक ऐसी सूचना की सापेक्ष पूर्ववर्तिता निर्धारित करने के लिये बैलट किया जायेगा । 10.30 बजे के पश्चात् प्राप्त सूचनाओं को अगली बैठक के लिये दिया गया समझा जायेगा ।

---

(3) नियम 197 के उप-नियम (4) में, "एक से अधिक ऐसा विषय" शब्दों के स्थान पर "दो से अधिक ऐसे विषय" शब्द रखे जायेंगे ।

(4) नियम 197 के उप-नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक निविष्ट किया जायेगा :—

"परन्तु दूसरा विषय उन्ही सदस्यों द्वारा नही उठाया जायेगा जिन्होंने पहला विषय उठाया है और यह बैठक की समाप्ति पर अथवा उससे तुरन्त पहले उठाया जायेगा, जैसा कि अध्यक्ष निश्चित करें ।"

(5) नियम 197 के उप-नियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात् :—

"(5) वे सभी सूचनाएं जो उसी बैठक में नही ली गई है जिसके लिये कि वे दी गई थी, उस बैठक की समाप्ति पर व्यपगत हो जायेंगी, जब तक कि अध्यक्ष ने उन्हे किसी बाद की बैठक के लिये गृहीत न कर लिया हो ।"

**नियम 367**

5. नियम 367 के उप-नियम (3) (ग) में "स्वचालित मतदान यंत्र" शब्दो के पश्चात् "अथवा सभा में 'हां' और 'ना' वाली पर्चियों का प्रयोग करके" शब्द जोड़े जायेंगे ।

**नियम 367 कक**

6. नियम 367-क के पश्चात्, निम्नलिखित नया नियम 367कक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

367कक "**'हां' और 'ना' वाली पर्चियों का वितरण करके मतदान** :—(1) जहां अध्यक्ष नियम 367 के उप-नियम (3) के खण्ड (ग) के अन्तर्गत यह निदेश दे कि सदस्यों द्वारा मत 'हां' और 'ना' वाली पर्चियां पर अभिलिखित किये जायेंगे, मत विभाजन लिपिक प्रत्येक सदस्य को उसकी इच्छानुसार उसके स्थान पर 'हां' अथवा 'ना' वाली एक पर्ची देंगे । सदस्य इस पर्ची पर अपने हस्ताक्षर करके तथा अपनी विभाजन संख्या लिखकर अपना मत अभिलिखित करेगा ।

(2) जब सदस्य अपना मत अभिलिखित कर लेंगे तो उसके पश्चात् मत-विभाजन लिपिक 'हां' वाली तथा 'ना' वाली पर्चियां इकट्ठी करेंगे और उन्हे सभा-पटल पर लायेंगे जहां पर सभा-पटल के निकट बैठे अधिकारियों द्वारा मतो की गणना की जायेगी तथा 'हां' और 'ना' वालों के योग अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे ।

(3) मत-विभाजन का परिणाम अध्यक्ष द्वारा विघोषित किया जायेगा और उस पर आपत्ति नही की जायेगी ।"

श्यामलाल शकधर,
सचिव ।

---

PRINTED IN INDIA BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1967